राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एएस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16640/2017

विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री छाजू राम गुप्ता, निवासी 33, संजय कॉलोनी, श्री गंगानगर। वर्तमान में प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बहला, जिला जैसलमेर। ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री राजेश पुनिया।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री बी.एल. भाटी, एएजी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

09/05/2024

1. इस याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें हेडमास्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 14.10.2016 से सभी काल्पनिक लाभ प्रदान करते हुए वेतन का सही निर्धारण करने तथा ब्याज सहित बकाया वेतन देने का आदेश दिया गया है।

2. याचिका के जवाब में, प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा-बी में, उत्तर में अपनाई गई स्पष्ट स्थिति को इस प्रकार से पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "बी. प्रथम दृष्टया, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी कि याचिकाकर्ता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा पारित आदेशों और जारी निर्देशों के अनुपालन में ही याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान की गई और उसने विलंब से कार्यभार ग्रहण किया। <u>प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कनिष्ठ से काल्पनिक लाभ और वास्तविक लाभ पाने का हकदार है और तदनुसार, याचिकाकर्ता का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है।</u> ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से गलत है और केवल इसी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है। (जोर दिया गया)

3. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का यह मुख्य दावा कि उसके समकक्षों को उसी चयन प्रक्रिया के तहत सेवा में नियुक्त किए जाने की तिथि से सभी काल्पनिक लाभ प्राप्त होंगे, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता न्यायालय के आदेशों के लाभ का हकदार है जिसके तहत उसे प्रश्नगत पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 18.08.2014 (अनुलग्नक 1) और 10.08.2017 (अनुलग्नक 5) के न्यायालय आदेशों का संदर्भ लिया जा सकता है जो याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम रूप से पारित हुए। हालांकि, कुछ गलत धारणा के तहत कि चूंकि याचिकाकर्ता को वास्तविक लाभ नहीं दिया जाना है, इसलिए उसका वेतनमान उस व्यक्ति से भी कम दिया गया, जो याचिकाकर्ता से कम योग्य और वरिष्ठता में भी कम था। उत्तर में या याचिकाकर्ता को उसके कनिष्ठों की तुलना में कम वेतनमान देने के लिए तर्कों के दौरान इस बात का कोई औचित्य नहीं है।

4. आधार में, यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता के वेतनमान का सही निर्धारण उसके समकक्षों के साथ समानता पर किया जाए, जिनका चयन उसी चयन प्रक्रिया में किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी।

5. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुधार करने के बाद, याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा, जब तक उसने सेवा नहीं की, लेकिन वह वेतनमान के अनुसार, सेवा में शामिल होने की तारीख से प्रभावी बकाया राशि का हकदार होगा, जो उसे उसके समकक्षों के साथ समानता पर दिया जाना है। वेतनमान के सही निर्धारण के पश्चात बकाया वेतन के भुगतान की प्रक्रिया, इस न्यायालय की वेबसाइट पर तत्काल आदेश अपलोड किए जाने के दिन से दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाए तथा सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार्य ब्याज दर के साथ भुगतान किया जाए।

6. निपटारा।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।